संख्या–1378/VIII/11–26(सेवा)/2011

प्रेषक,

एन0के0जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून दिनांक 31, अक्टूबर, 2011

विषय:– हिलट्रान से कम्प्यूटर व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–यूपीएचएलसी/एम0डी0/2011–12 दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 (प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि हिलट्रान से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन में कठिनाई आ रही है।

2. उक्त पत्र के साथ संलग्न निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–1672/ई–2/0102/नीति/कम्प्यूटर/90 दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 में यह निर्देश जारी हुए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि प्रशिक्षित अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हैं तो हिलट्रान द्वारा जारी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाय।

4. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय
31-X-11.
(एन0के0जोशी)
सचिव।